महाराजा गंगा सिंह विश्वविद्यालय, बीकानेर

जैसलमेर रोड, राष्ट्रीय राजमार्ग नं– 15, बीकानेर

फोननं– 0151–2212046, मोबाईल नं–9413278886, ईमेल एड्रेस– comptroller@mgsubikaner.ac.in

उपाबन्ध ''क''

निविदा–पत्र

कार्य का नाम–	प्लास्टिक वूवन बैग्स क्रय	**निविदा फार्म एवं धरोहर राशि व निविदा शुल्क जमा करने की अवधि**	**07.02.2015 मध्यान्ह 02:00 बजे तक**
निविदा क्रमांक–	17769 दिनांक: 22.01.15	निविदा खोलने की तिथि	**07.02.2015 मध्यान्ह 03:00 बजे**
अनुमानित लागत धरोहर राशि निविदा शुल्क	**रू. 4,50,000/- रु. 9,000/- रू. 200/-**		

1 विषयः– वर्ष 2015 के लिये प्लास्टिक वूवन बैग्स क्रय करने हेतु निविदा।

2 निविदा प्रस्तुत करने वाली फर्म का नाम तथा डाक का पूर्ण पता ....

....

दूरभाष संख्याः.. ऑफिस/ दुकान ....

घर .... पेन नम्बर ....

3 सन्दर्भः– निविदा सूचना संख्या ....दिनांक ....

4 निविदा शुल्क की राशि रूपए .... (अखरे रूपए ....) जमा करा दी गयी। डिमाण्ड ड्राफ्ट/ रोकड़ रसीद संख्या .... दिनांक ....

5 निविदा सूचना संख्या .... दिनांक .... जो महाराजा गंगासिंह विश्वविद्यालय, बीकानेर के द्वारा जारी की गयी है, में वर्णित समस्त शर्तों की पालना करने के लिए हम सहमत हैं तथा उक्त निविदा सूचना की अन्य शर्तें जो संलग्न प्रपत्र में दी गयी है (जिसके समस्त पृष्ठों पर उनमें वर्णित शर्तों को हमारे द्वारा स्वीकार किए जाने के प्रतिस्वरूप, हमने हस्ताक्षर कर दिए हैं।) का भी पालन करने के लिए हम सहमत हैं।

6 प्लास्टिक वूवन बैग के पॉच नमूने संलग्न हैं।

7 आपूर्ति आदेश में वर्णित सामग्री की आपूर्ति 20 दिन में निम्नानुसार करनी होगीः–

i कुल सामग्री का 50 प्रतिशत कार्यादेश की तिथि से 10 दिन में।

ii शेष सामग्री अगले 10 दिन में ।

8 निविदा में दी गयी दरें निविदा प्रस्तुत करने की अंतिम तारीख से 1 वर्ष के लिए वैध रहेगी **जो कि आपसी सहमति से बढाई जा सकती है** । सफल निविदादाता (जिसकी निविदा दरें स्वीकार करली गयी हो) की दरें अनुबंध अवधि से माल आपूर्ति एवं भुगतान तक वैध होगी, जिसके अन्तर्गत कार्यालय वांछित आपूर्ति हेतु आदेश दे सकेगा।

निविदादाता के हस्ताक्षर

9 धरोहर राशि हेतु वित्त नियंत्रक, महाराजा गंगा सिंह विश्वविद्यालय, बीकानेर के पक्ष में रूपए .... (अखरे रूपए ....) ड्राफ्ट/ रसीद संख्या .... दिनांक .... के द्वारा राशि जमा करा दी है।

10 संबंधित बिक्री कर/ वाणिज्यिक कर–अधिकारी से टिन नम्बर रजिस्ट्रेशन प्रमाण–पत्र संख्या .... एवं/ प्रमाण–पत्र इसके साथ प्रस्तुत हैं।

11 आपूर्त किए गए माल की गुणवत्ता स्थिर रहने की अवधि –––––––––– माह होगी।

निविदादाता के हस्ताक्षर

उपाबन्ध ''ख''

फर्म का नाम ....

क सं	सामग्री का नाम	स्पेसिफिकेशन	वजन प्रति प्लास्टिक वूवन बैग (न्यूनतम)	दरें प्रतिनग (समस्त कर सहित अंकों में, शब्दों में)
1	पॉलीप्रोपलीन वूवन प्लास्टिक बैग	साईज 30"x 24"x12" एवं बॉटम साईज 12"x12"	125 ग्राम	
2	पॉलीप्रोपलीन वूवन प्लास्टिक बैग	साईज 21"x 15"	45 ग्राम	
3	पॉलीप्रोपलीन वूवन प्लास्टिक बैग	साईज 12"x 17"	30 ग्राम	

नोटः–

प्लास्टिक वूवन बैग की सिलाई इंटरलॉकिंग सिल्क के धागे से होगी तथा दोहरी सिलाई मजबूत एवं मोटे अच्छी किस्म के सिल्क के धागे से करना आवश्यक है।

घोषणा

उपरोक्त समस्त दरें मैंने/हमने निविदा शर्तों का अच्छी तरह से अध्ययन कर ध्यानपूर्वक भरी है। मुझे/हमें यह भी स्वीकार है कि विश्वविद्यालय का निर्णय हमारे लिये सर्वोपरी होगा। यह भी प्रमाणित किया जाता है कि हमारी फर्म उक्त कार्य हेतु रजिस्टर्ड है तथा फर्म द्वारा वास्तव में उक्त व्यवसाय किया जाता है तथा वांछित मशीन/उपकरण/तकनीकी जानकारी आदि उपलब्ध है। केन्द्र सरकार/राज्य सरकार या इनके अधीन किसी बोर्ड/स्वायतशासी संस्थान/निगम आदि के द्वारा हमारी फर्म को ब्लेक लिस्ट नहीं किया गया है।

दिनांक
स्थान
संलग्न

निविदाकार के हस्ताक्षर
मय रबर सील

निविदादाता के हस्ताक्षर

महाराजा गंगा सिंह विश्वविद्यालय, बीकानेर

जैसलमेर रोड, राष्ट्रीय राजमार्ग नं– 15, बीकानेर

फोननं– 0151–2212046, मोबाईल नं–9413278886, ईमेल एड्रेस– comptroller@mgsubikaner.ac.in

उपाबन्ध (ग)

<u>निविदा एवं संविदा की शर्तें</u>

निविदा प्राप्त करने की **अंतिम** तिथि 07.02.15 समय **मध्यान्ह** 02:00 बजे तक

खोलने की तिथि 07.02.15 समय **मध्यान्ह** 03:00 बजे

टिप्पणी– निविदादाता को निविदा में अपने कोटेशन देते समय इन शर्तों को बहुत ध्यानपूर्वक पढ़ना चाहिए।

1 निविदा भरना एवं दरों का अंकनः–

(i) कोटेशन, निविदा सूचना में दिये गये निर्देशों के अनुसार यथोचित रूप से बंद लिफाफे में मुहरबंद करके दिनांक 07.02.15 को **मध्यान्ह** 02:00 **ब**जे तक वित्त नियंत्रक कक्ष में प्रस्तुत की जानी चाहिए।

(ii) (क) दरों की ईकाइयों में किसी भी स्थिति में परिवर्तन नहीं किया जाना चाहिए और दरें अंकों के साथ शब्दों में भी अवश्य लिखी जानी चाहिए। अंकों तथा शब्दों में लिखी दरों में अंतर होने पर कम राशि वाली दर मान्य होगी।

(ख) दरें समस्त प्रकार के देय करों को सम्मिलित करके दी जानी चाहिए अर्थात् आपूर्ति अवधि में देय तथा/अथवा लागू किये गये किसी भी प्रकार के कर अथवा इसमें की गयी अभिवृद्धि का पृथक् से भुगतान नहीं किया जावेगा।

(iii) निविदा में कोई परिवर्तन अथवा परिवर्धन नहीं किया जाना चाहिए। शुद्धियॉ, यदि कोई हो, स्पष्ट रूप से की जानी चाहिए तथा उन पर लघु हस्ताक्षर किए जाने चाहिए।

(iv) निविदा उन फर्मों/व्यापारियों द्वारा ही दी जानी चाहिए जो या तो उन वस्तुओं सामान/साज–सज्जा/मशीनों आदि के लिए रजिस्टर्ड / अनुमोदित प्रदायक हो या उनके द्वारा, जो उस सामान् का , जिसके लिये निविदा दी जा रही है, वास्तव में व्यवसाय कर रहे हो।

(v) अनुमोदित प्रदायक के संबंध में यह समझा जायेगा कि उसने प्रदाय किये जाने वाले सामान संबंधी शर्तें विस्तृत आकार और रेखाचित्रों आदि की सावधानीपूर्वक जॉच कर ली है। यदि उनको इन शर्तों या विस्तृत विवरण लेखा चित्रों आदि के अर्थ के संबंध में कोई संदेह हो तो उसे संविदा पर हस्ताक्षर करने से पूर्व प्रभारी अधिकारी से पूछताछ कर लेनी चाहिए एवं स्पष्टीकरण प्राप्त कर लेना चाहिए।

(vi) निविदादाता अपनी निविदा अथवा उसके सारभूत किसी भाग को न तो अन्य ऐजेन्सी को सौंप सकेगा और न किसी को आगे निविदा पर दे सकेगा।

(vii) (क) केता अधिकारी अथवा उसका अधिकृत प्रतिनिधि उचित प्रदायक के भू–गृहादि (**प्रेमिसेस**) में जा सकेगा और सब उचित समयों पर सामान की यथा वस्तुओं की बनावट की जॉच और परीक्षा करने के लिए सक्षम होगा।

(ख) निविदादाता को अपने कार्यालय/ गोदाम तथा वर्कशॉप के भू–गृहादि का पूरा पता निश्चित रूप से देना चाहिए जहॉ जाकर भौतिक निरीक्षण किया जा सके और उस व्यक्ति का नाम और पता भी अवश्य देगा, जिससे इस कार्य हेतु उनसे सम्पर्क किया जा सके।

(viii) समस्त उत्कथित दरें एफ0ओ0आर0 विश्वविद्यालय भण्डार कार्यालय होनी चाहिए और उनमें समस्त कर शामिल होना चाहिए। स्थानीय प्रदायकों के मामलों में भी दरों में समस्त कर शामिल होना चाहिए तथा महाराजा गंगा सिंह विश्वविद्यालय, बीकानेर द्वारा कोई गाड़ी भाड़ा या परिवहन व्यय का भुगतान नहीं किया जावेगा। दरों की वैद्यता निविदा प्रस्तुत करने की अंतिम तिथि से एक वर्ष तक वैध रहेगी **जिसे आपसी सहमति से बढाया जा सकता है**। सफल निविदादाता की दरें अनुबंध अवधि से माल आपूर्ति एवं भुगतान तक वैध रहेगी।

(ix) निविदाकारों या उनके प्रतिनिधियों की ओर से प्रत्यक्ष/अप्रत्यक्ष रूप से की जाने वाली संयाचना के कारण निविदा अमान्य की जा सकती है।

निविदादाता के हस्ताक्षर

(x) निविदाकार निविदा के साथ टिन नम्बर रजिस्ट्रेशन प्रमाण–पत्र की संख्या तथा संबंधित बिक्री कर/वाणिज्यिक कर अधिकारी का बिक्रीकर शोधन प्रमाण–पत्र आवश्यक रूप से प्रस्तुत करेंगे।

2 धरोहर राशिः–

(i) निविदा के साथ धरोहर राशि के 9000/– रूपए नकद राशि या डिमाण्ड ड्राफ्ट के द्वारा जमा होनी चाहिये जिसके बिना निविदा पर विचार नहीं किया जायेगा। उपरोक्त डिमाण्ड ड्राफ्ट की राशि वित्त नियंत्रक, महाराजा गंगासिंह विश्वविद्यालय, बीकानेर के पक्ष में जमा करायी जानी चाहिये।

(ii) धरोहर राशि निविदा के अंतिम रूप से स्वीकार किये जाने एवं अनुबंध हो जाने के बाद यथाशीघ्र विफल निविदादाता को प्रत्यार्पित कर दी जायेगी। सफल निविदाकारों को करार के समय सामग्री मुल्य की पॉच प्रतिशत राशि प्रतिभूति के रूप में जमा करानी होगी, जिसमें उनके द्वारा जमा धरोहर राशि का समायोजन कर लिया जावेगा शेष प्रतिभूति राशि भी नकद/डिमाण्ड ड्राफ्ट के माध्यम से जमा करानी होगी। धरोहर राशि पर कोई ब्याज देय नहीं होगा।

(iii) राजस्थान के लघु उद्योग इकाई के अन्तर्गत पंजीकृत फर्मों को निदेशक उद्योग विभाग द्वारा जारी किए पंजीयन प्रमाण–पत्र, क्षमता प्रमाण–पत्र की प्रमाणित प्रति प्रस्तुत करने पर 0.5 प्रतिशत धरोहर राशि ली जाएगी तथा आदेशित मूल्य 1 प्रतिशत प्रतिभूति राशि ली जावेगी।

(iv) केन्द्र सरकार या राजस्थान सरकार के उपक्रमों से उपरोक्तानुसार धरोहर राशि तथा प्रतिभूति निक्षेप देने की अपेक्षा नहीं की जावेगी।

3 निविदा की स्वीकृति, अनुबंध एवं प्रतिभूति राशिः–

(i) किसी भी निविदा को स्वीकार करने में महाराजा गंगासिहं विश्वविद्यालय, बीकानेर के लिए आवश्यक नहीं है कि वह न्युनतम दर की निविदा हो।

(ii) विश्वविद्यालय के पास किसी भी निविदा को बिना कारण बताए अस्वीकार करने का अधिकार सुरक्षित है। जिन वस्तुओं के लिए निविदा की गयी है, उनकी पूर्ण मात्रा या उसके किसी भाग के लिए विश्वविद्यालय की ईच्छानुसार आदेश दिए जा सकते हैं तथा विशेष परिस्थिति में सामग्री की विश्वविद्यालय में पचास प्रतिशत तक वृद्धि एवं कमी की जा सकती है।

(iii) सफल निविदादाताओं को अपने खर्चे पर निविदा स्वीकार करने की सूचना जारी होने के दस दिवस में निम्नानुसार कार्यवाही करनी होगीः–

1. उपाबन्ध ''घ'' संलग्न किया जाना है, जिसमें निर्धारित प्रारूप में नियमानुसार निर्धारित राशि के रू 500 के नॉन ज्यूडिशियल स्टाम्प पेपर पर करार निष्पादित करना होगा।
2. संविदा के यथावत क्रियान्विती के लिए प्रस्तावित कार्यादेश के मूल्य के 5 प्रतिशत बराबर प्रतिभूति राशि नगद/ड्राफ्ट द्वारा तीन दिवस में जमा करानी होगी। यदि निविदादाता विहित कालावधि में प्रतिभूति राशि जमा कराकर करारनामा निष्पादित करने में विफल रहता है तो इस प्रकार विफल रहने को निबंधनों तथा शर्तों का भंग होना माना जाएगा एवं धरोहर राशि जब्त कर ली जाएगी। तदुपरान्त बिना नोटिस अन्य निविदादाताओं को क्रय आदेश देने का अधिकार होगा। प्रतिभूति राशि में लघु उद्योग इकाई को शर्त संख्या 2 के (iii) में वर्णित सत्यापित प्रमाण–पत्र प्रस्तुत करने पर सफल निविदादाता को नियमानुसार छूट दी जावेगी। प्रतिभूति राशि पर ब्याज देय नहीं होगा।

(iv) निबंधनों तथा शर्तों को भंग करने या संविदा को असंतोषप्रद ढ़ंग से पूरा करने पर क्रेता अधिकारी द्वारा पूर्णतः या अंशतः प्रतिभूति राशि जब्त करली जावेगी। इस संबंध में विश्वविद्यालय का विनिश्चय ही अंतिम होगा।

(v) प्रतिभूति राशि बिलों का अंतिम भुगतान हो जाने एवं समस्त संबंधितों से संतोषप्रद कार्य की सूचना प्राप्त होने **एवं** संविदा **की कार्यावधि** पूर्ण होने के पश्चात् के धरोहर/प्रतिभूति राशि लौटा दी जावेगी, ऐसी प्रतिभूति राशि पर विश्वविद्यालय द्वारा कोई ब्याज नहीं दिया जावेगा।

(vi) धरोहर राशि अथवा प्रतिभूति राशि का विप्रेक्षण व्यय (रिमिटेंस चार्जेज) संविदादाता द्वारा वहन किए जाऐंगे।

4 <u>आपूर्ति एवं दण्डः–</u>

(1) प्रदाय किया गया सम्पूर्ण सामान उसके लिए निर्धारित विस्तृत विवरण व्यापार चिह्न अनुसार सर्वोत्तम किस्म का तथा स्वीकृत/ प्रमाणित नमूनों से पूरी–पूरी तरह मेल खाती हुई होनी चाहिए और किसी ऐसी सामग्री के मामले में जिसके लिए कोई प्रमाणित या स्वीकृत नमूने नहीं है, सामान का प्रदान भारत में प्राप्त सर्वश्रेष्ठ किस्म का होना चाहिए। सामान की किस्म के संबंध में स्वीकृति देने वाले प्राधिकारी का निर्णय अंतिम तथा निविदादाताओं के लिए मान्य होगा। प्रदान की गयी किन्ही ऐसी वस्तुओं के मामले में जो अनुमोदित नहीं की जाए और जिन्हें अस्वीकार कर दिया जाए या बदलवायी जाए और ऐसी वस्तुओं के प्रदायों के अस्वीकृति अथवा बदले जाने के कारण कोई व्यय होगा या प्रदायकों को कोई हानि हो तो पूर्ण रूप से निविदादाता के जिम्मे होगी। संविदा की शर्तों के अनुसार पूर्ण मात्रा सप्लाई नहीं करने तथा आंशिक सप्लाई नहीं करने की स्थिति में निविदादाता द्वारा जमा करायी गयी धरोहर राशि प्रतिभूति राशि सामान्य वित्तीय लेखा नियम भाग द्वितीय के नियम 57 (5) के अनुसार जब्त करली जाएगी व शर्त संख्या 4 (6) के अनुसार कार्यवाही की जाएगी।

(2) यदि अनुमोदित किस्म में साईज या परिमाण के अलावा सामग्री का अन्यथा प्रदाय होता है तो उसे अस्वीकार कर दिया जाएगा तथा प्रदायक को बिना किसी अतिरिक्त मूल्य को निश्चित समय के भीतर बदलना होगा। यदि सामग्री का मूल्य यथोचित रूप से कम कर दिया जाएगा तो क्रेता अधिकारी द्वारा नियत किए गए मूल्य अंतिम होंगे। आपूर्त किए गए माल की गुणवत्ता निविदा पत्र में अंकित समय तक स्थिर रहनी चाहिए। गुणवत्ता में कमी आने पर आवश्यक शास्ति आरोपित की जावेगी।

(3) निविदादाता सामान तथा सामान के नमूनों के ठीक ठीक पैकिंग के लिए उत्तरदायी होगा ताकि सामान प्राप्तकर्ता को उसके स्थान पर अच्छी दशा में नमूने के अनुसार सामान की सुपुर्दगी मिल सके। माल प्राप्तकर्ता द्वारा जॉच हेतु सामान की निरीक्षण करते समय जो कोई भी हानि या कमी, को पूरा करने के लिए निविदादाता जिम्मेदार होगा, इसके लिए अतिरिक्त मूल्य अनुज्ञेय नहीं होगा।

(4) समस्त उत्कथित दरें एफओआर विश्वविद्यालय भण्डार कार्यालय होनी चाहिए और उनमें समस्त कर शामिल होने चाहिए। स्थानीय प्रदायकों के मामले में भी दरों में समस्त कर शामिल होना चाहिए तथा महाराजा गंगासिंह विश्वविद्यालय, बीकानेर द्वारा कोई गाड़ी भत्ता या परिवहन व्यय नहीं दिया जाएगा। दरों की वैधता निविदा प्रस्तुत करने की अंतिम तिथि से एक वर्ष तक वैध रहेगी। सफल निविदाकार की दरें अनुबंध की अवधि से एक वर्ष तक वैध रहेगी।

(5) निविदादाता जिसकी निविदा स्वीकार की गयी है, क्रय आदेश की तारीख से बीस दिन की अवधि के भीतर आपूर्ति निम्नानुसार करनी होगीः– (1) कुल सामग्री का पचास प्रतिशत कार्यादेश की तिथि से 10 दिन में, (2) शेष सामग्री अगले 10 दिन में वस्तुओं के प्रदाय की व्यवस्था करेगा। निविदा में दिखलाई गयी मात्राएँ अनुमानित है। वस्तुओं के प्रदाय की व्यवस्था विश्वविद्यालय की आवश्यकतानुसार करनी होगी।

(6) यदि निविदादाता सामान की सप्लाई निर्धारित स्पेशिफिकेशन तथा /अथवा अनुमोदित नमूनों के अनुसार निर्धारित समय के भीतर या वर्णित समय के भीतर पूरी न कर पाए तो क्रेता अधिकारी को यह हक होगा कि वह निविदादाता को सूचना दिए बिना निविदादाता के हिसाब से तथा उसकी जोखिम पर यह माल या उसका कोई भाग जो निविदादाता सप्लाई न कर पाया हो और कहीं से खरीद ले या यदि

माल उपलब्ध न हो तो उस माल के बदले में सबसे अच्छा या पास में उपलब्ध होने वाला कोई माल खरीद ले या संविदा को रद्द कर दे तथा निविदादाता क्रेता अधिकारी को निविदादाता द्वारा विफल करने के कारण होने वाली हानि के नुकसान का दायी होगा, परन्तु निविदादाता व्यक्तिक्रम के फलस्वरूप किए गए क्रय पर होने वाले लाभ का हकदार नहीं होगा। ऐसी हानि या नुकसान की वसूली इस संविदा या किसी अन्य संविदा के अधीन देय राशि में से वसूल करली जाएगी।

(7) कार्यादेश की तारीख से कुल 20 दिवस की अवधि के भीतर माल की सुपुर्दगी निम्नानुसार पूरी कर ली जावेगीः–

(i) कुल सामग्री का पचास प्रतिशत कार्यादेश की तिथि से 10 दिन में ।

(ii) शेष सामग्री अगले 10 दिन में।

यदि निविदादाता, निविदा प्रारूप में विनिर्दिष्ट कालावधि के भीतर माल की सुपुर्दगी न कर पाए तो क्रय अधिकारी अपने विवेकानुसार माल की सुपुर्दगी की अवधि निविदाकार से करारनुमा परिनिर्धारित नुकसानी जो शास्ति नहीं होगी की वसूली के अध्यधीन बढ़ा सकेगा। यह वसूली उस सामान के मूल्य के प्रतिशत की राशि के बराबर निम्नानुसार बतलायी गई देरी (विलम्ब) के लिये होगीः–

(i) निर्धारित सुपुर्दगी की कालावधि की 1/4 कालावधि की देरी के लिए 2.5%

(ii) 1/4 से अधिक परन्तु निर्धारित सुपुर्दगी की कालावधि के 1/2 से अनाधिक 5%

(iii) 1/2 से अधिक परन्तु निर्धारित सुपुर्दगी की कालावधि के 3/4 से अनाधिक 7.5%

(iv) 3/4 से अधिक परन्तु निर्धारित सुपुर्दगी की कालावधि के बराबर की कालावधि से अनाधिक 10%

टिप्पणीः–

1 सप्लाई में हुई देरी की कालावधि की संगणना करते समय एक दिन की भिन्नता को नहीं गिना जायेगा, यदि वह 1/2 दिन से कम है।

2 परिनिर्धारित नुकसानों की अधिकतम राशि 10 प्रतिशत होगी।

3 यदि प्रदायक कोई भी बाधा उत्पन्न होने के कारण संविदात्मक प्रदाय पूर्ण करने का समय बढ़ाने की अपेक्षा करें, तो वह इसके लिये उस प्राधिकारी को, जिसने प्रदाय को आदेश दिया है, बाधा उत्पन्न होने पर तुरन्त लिखित में आवेदन करेगा, लेकिन प्रदाय पूर्ण करने की निर्धारित तारीख के पश्चात् नहीं, किन्तु प्राधिकारी का निर्णय अंतिम होगा।

5 भुगतान प्रक्रिया

1 प्रदायक द्वारा आपूर्ति किये जाने वाले माल का भुगतान क्रयादेश निविदा व करार की शर्तों के अनुसार किया जायेगा।

2 प्रस्तुत बिल में से VAT की राशि जोड़कर भुगतान किया जायेगा। VAT की राशि नियमानुसार जमा करने का उत्तरदायित्व सम्बंधित फर्म का ही होगा ।

6 अन्य शर्तेः–

1 समस्त कानूनी कार्यवाही यदि किसी भी पक्ष द्वारा संस्थित किये जाने की आवश्यकता पड़े, तो राजस्थान में बीकानेर स्थित न्यायालयों में ही कानूनी कार्यवाही प्रारम्भ करनी होगी, किसी अन्य स्थान पर नहीं।

2 निविदादाता द्वारा प्रस्तुत दरों में यदि निविदा दरें लागू रहने तक की अविध में किसी भी समय किसी प्रकार की किसी सामग्री के बाजार मूल्य (मार्केट प्राईस) में कमी हो जाती है तो निविदादाता इसकी अविलम्ब सूचना विश्वविद्‌यालय को देगा अथवा विश्वविद्‌यालय को अन्य विश्वसनीय स्त्रोतों से किसी प्रकार रेट्स घटाये जाने की जानकारी प्राप्त होने पर निविदादाता को इसकी सूचना दी जावेगी एवं निविदादाता तद्नुसार कम दरों पर सामग्री प्रदान करने के लिये बाध्य होगा और भुगतान भी कम दरों पर ही किया जावेगा। किन्तु बाजार मूल्य में बढ़ोतरी का कोई लाभ निविदादाता को नहीं दिया जावेगा।

3 किसी भी तरह के विवाद की स्थिति में कुलपति, महाराजा गंगासिंह विश्वविद्‌यालय, बीकानेर का निर्णय दोनों पक्षों को मान्य होगा।

4 इस निविदा एवं अनुबंध के संबंध में अन्य शर्तें एवं नियम, जिनका उल्लेख उपर नहीं किया गया है, राजस्थान सरकार के सामान्य वित्तीय एवं लेखा नियमों के प्रावधानों के अनुसार होगी।

5 फर्म द्वारा समस्त सामान की दरें सभी कर सहित देवें।

6 निविदादाता द्वारा निविदा में उल्लेखित कोई भी शर्त मान्य नहीं होगी।

7 अनुभव प्रमाण हेतु किये गये कार्यों की कार्यादेश प्रतियॉ संलग्न करें।

वित्त नियंत्रक

घोषणा

यह प्रमाणित किया जाता है कि मैंने उक्त सभी शर्तों का अच्छी तरह अध्ययन कर लिया है। मैं इन शर्तों की पालना की सहमति स्वरूप इसके प्रत्येक पृष्ठ पर हस्ताक्षर कर निविदा प्रपत्र के साथ संलग्न कर दिया है।

दिनाक

निविदाकार के हस्ताक्षर
मय सील

उपाबन्ध (घ)

करार का प्रारूप

1 यह करार आज दिनांक .... को एक और................(जिसे इसमें इसके पश्चात् '' अनुमोदित प्रदायक '' कहा गया है, जिस अभिव्यक्ति, में जहॉ सन्दर्भ के अनुकूल हों उसके वारिस, उत्तराधिकारी, निष्पादक तथा प्रशासक सम्मिलित समक्ष जायेंगे।) और दूसरी ओर महाराजा गंगासिंह विश्वविद्यालय, बीकानेर के वित्त नियंत्रक (जिन्हें इसमें इनके पश्चात् ''विश्वविद्यालय'' कहा गया है।) जिस अभिव्यक्ति में, जहॉ सन्दर्भ के अनुकूल हो, उनके उत्तराधिकारी, तथा अभिहस्तांकित सम्मिलित समझे जायेंगे के बीच सम्पन्न किया गया है।

2 चूँकि अनुमोदित क्रेता, महाराजा गंगा सिंहविश्वविद्यालय, बीकानेर को उनके मुख्यालय पर इसके साथ संलग्न अनुसूची में उल्लेखित समस्त वस्तुएं, इसके साथ संलग्न संविदा के पत्र तथा संविदा के प्रतिबंधों में दी गई रीति के अनुसार तथा उक्त अनुसूची के स्तम्भ .... में उल्लेखित दरों से कार्य करने के लिए विश्वविद्यालय के साथ सहमत हो गया है।

3 चूँकि अनुमोदित प्रदायक ने रूपए .... की रकम नकद रसीद संख्या .... दिनांक .... डिमांड ड्राफ्ट संख्या .... दिनांक .... द्वारा उपर्युक्त करार के यथावत पालन करने के लिये प्रतिभूति के रूप में जमा करा दी है।

4 अब यह लेख निम्नांकित का साक्ष्य हैः–

(i) महाराजा गंगा सिंह विश्वविद्यालय, बीकानेर द्वारा वित्त नियंत्रक के जरिए इसके साथ संलग्न अनुसूची में उल्लेखित दरों से किए जाने वाले संदायों में अनुमोदित प्रदायक .... (फर्म का नाम) संलग्न अनुसूची में उल्लेखित उक्त कार्य संविदा तथा निविदा की शर्तों एवं प्रतिबंधों में बतलायी गयी रीति से यथावत रूप से प्रदाय करेगा।

(ii) निविदा और संविदा की शर्तें जो निविदा सूचना संख्या .... दिनांक.. .... के साथ संलग्न थी और इस करार के साथ भी संलग्न है, इस करार का अंग समझी जायेगी और इस करार को निष्पादित करने वाले पक्ष इनसे बाध्य होंगे।

(iii) महाराजा गंगासिंह विश्वविद्यालय, बीकानेर एतद्द्वारा, यह करार करता है कि यदि अनुमोदित प्रदायक उपर्युक्त रीति से उक्त शर्तों तथा प्रतिबन्धों को मानेगा और उनका पालन करेगा, तो महाराजा गंगासिंह विश्वविद्यालय, बीकानेर के वित्त नियंत्रक के जरिए अनुमोदित प्रदायक को उक्त प्रतिबन्धों में उल्लेखित रीति से तथा समय पर, प्रत्येक सामान के लिए देय रकम का संदाय रेखांकित चैक से करेगी या करवायेगी।

(iv) क्रयादेश की तारीख में उल्लेखित अवधि के भीतर माल की सुपुर्दगी पूरी कर ली जावेगी।

(v) यदि अनुमोदित प्रदायक निविदा प्रारूप में विनिर्दिष्ट कालावधि के भीतर आपूर्ति न कर पाये तो विश्वविद्यालय अपने विवेकानुसार, माल की सुपुर्दगी की अवधि अनुमोदित प्रदायक से करारानुसार परिनिर्धारित नुकसानी, जो शास्ति नहीं होगी, की वसूली के अध्याधीन बढ़ा सकेगा। यह वसूली उस सामान के मूल्य के प्रतिशत की राशि के बराबर निम्नानुसार नीचे बतलाई गयी देरी (विलम्ब) के लिये होगीः–

क	निर्धारित कार्य की कालावधि की 1/4 कालावधि की देरी के लिये	2.5%
ख	1/4 से अधिक परन्तु निर्धारित कार्य की कालावधि को 1/2 से अनधिक कालावधि की देरी के लिये	5%
ग	1/2 से अधिक परन्तु निर्धारित कार्य की कालावधि को 3/4 से अनधिक कालावधि की देरी के लिये	7.5%
घ	3/4 से अधिक परन्तु निर्धारित कार्य की कालावधि के बराबर कालावधि से अनधिक	10%

टिप्पणी:–

1 कार्य में हुई देरी की कालावधि की संगणना करते समय एक दिन की भिन्नता को नहीं गिना जायेगा, यदि वह 1/2 दिन से कम है।

2 परिनिर्धारित नुकसानों की अधिकतम राशि 10% होगी।

3 यदि प्रदायक कोई भी बाधा उत्पन्न होने के कारण संविदात्मक प्रदाय पूर्ण करने का समय बढ़ाने की अपेक्षा करें तो वह इसके लिये उस प्राधिकारी को , जिसने प्रदाय को आदेश दिया है, बाधा उत्पन्न होने पर तुरन्त लिखित में आवेदन करेगा लेकिन प्रदाय पूर्ण करने की निर्धारित तारीख के पश्चात् नहीं।

4 धरोहर/ प्रतिभूति राशि पर ब्याज देय नहीं होगा।

5 इस निविदा एवं अनुबंध के संबंध में अन्य शर्तें एवं नियम, जिनका उल्लेख उपर नहीं किया गया है, राजस्थान सरकार के सा0वि0 एवं लेखा नियमों के प्रावधानों के अनुसार होगी।

6 इस करार के संबंध में उत्पन्न होने वाले समस्त विवाद तथा करार के निर्वाचन संबंधी समस्त प्रश्न विश्वविद्यालय द्वारा विनिश्चय किए जायेंगे तथा विश्वविद्यालय का विनिश्चय ही अंतिम होगा। जिसके साक्ष्य में, इसके दोनों पक्षों ने दिनांक ....को अपने हस्तक्षर किये।

अनुमोदित क्रेता के हस्ताक्षर

विश्वविद्यालय के लिए तथा की ओर से हस्ताक्षर व पदनाम

तारीख ....
साक्षी सं 1..
साक्षी सं 2 ....